ਆਮ ਸੂਚਨਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ/ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੰਸੋਟੀਅਮ, ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ/ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬਧਤ ਸਰਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਠਾਨਕੋਟ।

ANNEXURE II

GIS based property tax survey details to be collected through contact survey for property in survey form:

1	Map ID/Parcel no.:					Date of Survey:	DDMMYY	
2	GIS Based UID (If generated)					3. Existing ID & Old area of H.Tax		
4	Zone no./Sector no.			5 Ward No.			6 Block no.	
7	Building Plan Sanction No. & Plot Certificate No.							
8	Type of property Owner:	Public	Private	Governme nt	State	If state, mention the name of the department:		
					Central			
9	Owner Name:					10. Father/Husband name		
11	Mobile No. of Property Owner							
12	Adhaar No. (Adhaar Vault is required for storing the details by the firm)					PAN No.		
13	Previous Ownership as per the sale deed or MC record	Property No.				14. Name & Father name		
15	Property Address	House No/Flat No:				16. Apartment/Building/Firm/ Shop/Industry/Institution name	17. Locality	
		Road Name (if any)					Pin Code:	

18	Total Plot area(Sq.ft)							
19	Built up area (in Sq.ft)							
20	Total open space area							
21	Total no. of Floors:							
22	Floor wise Area (G, G+1..)							
23	Tax Payable Floor Wise							
24	Fire Cess (In case of Commercial)							
25	Partial Complete Exemption from tax							
26	Amount of rebate on tax							
27	Amount of penalty interest if any							
28	Gross Amount of P.tax							
29	Amount Recovered							
30	Receipt & date of Deposit of Tax							
31	Property Usage floor wise (√ mark in the box) :	Residential		Commercial (If yes, specify type)	Industries (If yes, specify type)	Mix (If yes, specify type with area)		Other (Please Specify)
32	License Status-Yes/No &License number if available in case of commercial/industrial/Institutional/firm							

33	GST account no. in case of Commercial/industrial/institutional/firm:							
34	Occupancy Status (√ mark in the box) :	Self-Occupied		Tenant (Police Verification records for tenants (Yes/No))	Encroached	Remarks (If Tenant/encroached, Please mention the Name & Mobile No. of occupier)		
35	Type of Construction :	Pucca		Semi Pucca		Kacha	Under construction	
36	Year of Construction:				Age of the Buildings (01 - > 30 Years; 02 - 15 –30 Years; 03 - 15 - 5Years; 04 - < 5 Years)			
37	Source of water (Municipal Connection/Own source of water, be specific) please mention							
38	Source of Disposal of Sewerage (MC/Other source be specific)							
39	Location of towers/kiosk on roof for advertisement (Yes/No)							
40	Geo tagged Photograph of property							
	Utilities *(In case of Multi storied Buildings, Utilities ID data need to be collected for all floors)*							
41	Property Tax ID	42. Water	43. Sewerage		44. Municipal		45. Electricity	

		Connection Account No.	Connection Account No/Sewerage Disposal ID		Solid waste garbage lifting account no.		Connection Account no.	

पठानकोट भास्कर

जालंधर , वीरवार , 10 अप्रैल, 2025 | सुजानपुर • शाहपुर कंडी • नरोट मेहरा | नरोट जैमल सिंह • तारागढ़ • माधोपुर | dainikbhaskar.com

भास्कर एक्सक्लूसिव अब वार्डबंदी के बाद एड्रेस बदलने की जरूरत नहीं, यूआईडी नंबर प्लेट लगने से सब होगा आसान, 83 लाख का हुआ टेंडर

65 हजार प्रॉपर्टी को मिलेगा यूआईडी नंबर, क्यूआर कोर्ड से भर सकेंगे टैक्स

भास्कर न्यूज | पठानकोट

चुनाव में बार-बार होने वाली वार्डबंदी के बाद एड्रेस चेंज होने के अब लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल, शहर में प्रत्येक घर का अपना यूआईडी नंबर होगा और उसके अनुसार ही सभी टैक्स की अदायगी होगी। निगम ने 83 लाख का टेंडर जारी कर यूआईडी नंबर प्लाट का काम शुरू किया है और 9 महीने में क्यूआर कोड समेत यूआईडी नंबर प्लेट का काम कंप्लीट होगा। इसके लिए शहर के 50 वार्डों के 20 सेक्टर बनाए गए हैं और 65 हजार प्रॉपर्टी को अपना यूआईडी नंबर मिलेगा। प्रत्येक सेक्टर में 2 से 3 हजार के बीच में प्रापर्टी शामिल की गई हैं। सर्वे में कंपनी के नुमाइंदे डोर टू डोर जाकर पूरे एरिया की मैपिंग करेंगे और बिल्डिंग की फोटो खिंचकर रिकॉर्ड में रखी जाएगी। फोटो को बाद में डेटा फीड कर एक नंबर जारी कर दिया जाएगा और उस नंबर को फीड कर भविष्य में टैक्स और वाटर सप्लाई समेत अन्य चार्ज लगेंगे। इसी वित्तीय वर्ष में लोगों को यूआईडी नंबर के हिसाब से टैक्स की अदायगी करनी होगी।

9 महीने में काम होगा पूरा, 50 वार्डों के 20 सेक्टर बनाए गए, प्रत्येक सेक्टर में 2 से 3 हजार प्रॉपर्टी

पठानकोट नगर कौंसिल के 33 वार्ड और उसमें शामिल 17 गांवों को मिलाकर नगर निगम बनाई गई थी। साल 2013 में सभी 33 वार्डों में 40 हजार यूनिट थे। वर्तमान में निगम के 50 वार्डों में 59 हजार 600 प्रापर्टी हैं जिनमें से 47 हजार 850 में से 11 हजार 500 रेजिडेंशियल, 9210 में से 8860 नॉन रेजिडंशियल, 630 में से 620 इंडस्ट्रियल और 1910 में से 1680 मिक्स यूज प्रापर्टी टैक्स आता है। अभी तक रेजिडेंशियल साढ़े 11 हजार में से 8 हजार, नॉन रेजिडेंशियल 8860 में से 4500, इंडस्ट्रियल में 378 और मिक्स यूज 1700 ने प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं।

निगम ने प्रत्येक प्रॉपर्टी को यूआईडी नंबर देने का सर्वे शुरू कराया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रापर्टी का जीआईएस सर्वेक्षण का काम कंसोर्टियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

घर-घर जाकर प्रॉपर्टी की जानकारी लेगी टीम

सर्वेक्षकों की टीमें घर-घर जाकर प्रापर्टी के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगी और इसके बाद यूआईडी तैयार की जाएगी। जिसके बाद प्रत्येक प्रापर्टी को नंबर दिया जाएगा और उसके बाहर नंबर प्लेट लगाई जाएगी। चाहे वह खाली प्लाट ही क्यों न हो उसके बाहर भी यूआईडी नंबर लगेगा। इसके लिए पब्लिक से कोई पैसे नहीं लिया जाएगा और उसका भुगतान टेंडर के अनुसार निगम द्वारा किया जाएगा।

वार्डबंदी से बदल जाती है वार्डों की संरचना

हर निगम चुनाव में नई वार्डबंदी के चलते वार्डों की संरचना बदल जाती थी और नेताओं की सुविधा के अनुसार वार्डों में वोट एक से दूसरे में जोड़ने से कई वार्डों के नंबर तक बदलने से लोगों को एड्रेस को लेकर परेशानी होती थी और उन्हें करेक्शन कराने पड़ते थे।

सर्वे के बाद निगम के पास प्रॉपर्टी की सही संख्या होगी

निगम का मानना है कि शहर में 65 हजार प्रापर्टी हैं, लेकिन उनके पास टैक्स कम ही आ रहा है। सर्वेक्षण से प्रापर्टी की सही संख्या उनके पास होगी और उससे टैक्स कलेक्शन में भी सुधार होगा। इस बारे में पीएमआईडीसी के अर्बन प्लानर नितिन कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण से आम लोगों को भविष्य में अपने जल एवं सीवरेज कनेक्शन बिल तथा प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने में सुविधा होगी।